



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश



लिंक रोड न0.3 पत्रकार कॉलोनी के सामने पिन कोड-462003 भोपाल

क्रमांक /NHM/HR/सं.नि.-MO/2022-23/

भोपाल दिनांक: 17 / 02 / 2023

// आदेश //

दिनांक 25 जनवरी, 2023 को आयोजित ऑनलाईन Walk-in Interview के आधार पर नीचे दी गई तालिकानुसार 04-PGMO, 20-MO, 02 Sanjeevani Clinic MO कुल 26 चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित मासिक पारिश्रमिक पर वित्त वार्षिक अनुबंध के अधीन कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक से संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :

S.No	Candidate ID	Name	Father Name	DOB	Gender	Specialization	Govt. Health Facility Allotted	Monthly Remuneration (INR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PGMO : 04								
1	21741	Dinesh Patidar	Mohanlal patidar	17-Sep-85	M	DA	CH Jaora, Ratlam PGMO-Anaesthesia (DA)	110000/-
2	21799	Shoaib Beg Mirza	Mukim beg mirza	10-May-91	M	MD Paediatrics	SNCU KNK Hospital Bhopal PGMO Paediatrics (MD-PAED)	125000/-
3	21811	Chandan Kachhwaha	Rajendra Kachhwaha	04-Jun-90	M		CH P.C. Sethi, Indore PICU-PGMO Paediatrics (MD)	125000/-
4	21798	Dr Vinod parmar	Dharmraj singh	05-Jan-92	M	MD Radiology	CH Kailash Nath Katju, Bhopal PGMO- MD Radiology	125000/-
MO : 20								
1.	21762	BASANT LAL	RAMESH PRASED	01-Mar-84	M	MO	DH Mandsaur PICU-MO	65000/-
2.	21766	PRAJOT PRAKASHCHANDRA SHARMA	PRAKASHCHANDRA SHARMA	08-Jun-89	M	MO	PHC Balsamud, Block Kasrawad, Khargone	65000/-
3.	21794	Narendra Singh Rathore	Indra Singh rathore	03-May-88	M	MO	CHC Amayan, Block Mehgaon, Bhind	65000/-
4.	21795	ANKIT DWIVEDI	HARISHANKAR SHARMA	21-Mar-91	M	MO	PHC Beeda, Block-Sirmour, Rewa	65000/-
5.	21790	KM LAXMI	LOKCHAND KARMANI	01-May-84	F	MO	PHC, Kanera, Block Ater, Bhind	65000/-
6.	21806	AJIT SINGH RAJPUT	RAMSWARP OOP	18-Jun-80	M	MO	DH Bhind NRC MO	65000/-
7.	21786	SANJAY BATHAM	Late shri Munna Lal Batham	03-Jun-81	M	MO	PHC Bijora, Block Ater, Bhind	65000/-
8.	18546	Brijmohan Rampure	Ramcharan	07-Jul-87	M	MO	PHC Awan, Block Raghogarh, Guna	65000/-


No	Candidate No	Name	Father Name	DOB	Gender	Cadre/Specialization	Govt. Health Facility Allotted	Monthly Remuneration (INR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	21771	Praveen Soni	Govind soni	18-Sep-91	M	MO	PHC Kantaphod, Block-Kannod, Dewas	65000/-
10	21807	SOORYA PRATAP PAVAIYA	RAMBARAN	01-Feb-92	M	MO	DH Shivpuri PICU MO	65000/-
11	21776	YATENDRA SINGH	RAJENDRA SINGH	08-Jul-94	M	MO	PHC Macchand, Block Raon, Bhind	65000/-
12	21785	PRAVEEN CHOUHAN	Bharat Singh Chouhan	17-Jun-91	M	MO	PHC Bhagyapur, Block Bhagwanpura, Khargone	65000/-
13	21783	Lalit Saurat	Kishan singh	26-Jun-92	M	MO	CHC Amarpur, Block Amarpur, Dindori	65000/-
14	21804	Mahesh Kumar	Vardi chand	11-Jan-93	M	MO	DH Neemuch SNCU MO	65000/-
15	21778	Anil Rao	Rajmal singh rao	02-May-94	M	MO	PHC Peepalranwa, Block Sonkatch, Dewas	65000/-
16	21775	Ravindra Dhakar	Darshan lal	10-Jul-95	M	MO	PHC Baharpur, Block Karanjiya, Dindori	65000/-
17	21768	SAMRAT KUSHWAHA	RAJESH KUMAR KUSHWAHA	10-Dec-95	M	MO	CHC Hanumana, Rewa	65000/-
18	21805	Shankar Lal Samota	Choth mal samota	10-Nov-96	M	MO	PHC Mandav Kheda, Block Bhagwanpura, Khargone	65000/-
19	21779	VIKASH SETH	MANOJ SETH	10-Mar-98	M	MO	PHC Shahpur, Block Dindori, District Dindori	65000/-
20	21792	Harsh Chauhan	Pankaj kumar chauhan	15-Nov-98	M	MO	CHC Karanjiya, Dindori	65000/-
Sanjeevani Clinic MO-02 : XV-Fin.: U.2.1, ACTIVITY CODE- U.2.1.14 MEDICAL OFFICER								
1	21793	ANIL SADASHIV MOKASDAR	SADASHIV MOKASDAR	31-Mar-62	M		Sanjeevani Clinic Gaykhuri ward-33, Balaghat	मासिक बेस वेतन रु. 25000/- तथा ओ.पी.डी. प्रति कार्य दिवस 25मरीज उपरान्त प्रति मरीज 40 रुपये के मान से अधिकतम कुल मानदेय राशि रु. 75000/- तक
2	21812	Trupti Jayanti Bhai Thacker	Jayanti Bhai	21-May-83	F	DGO	Sanjeevani Clinic Amrawad khurd, Bhopal	

संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के प्रचलित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 (संशोधित) के प्रावधानों के अधीन होंगी। मैनुअल www.nhmmp.gov.in पर देखा जा सकता है।
2. यह नियुक्ति दिनांक **31 मार्च 2023** तक के लिए होगी।
3. संविदा चिकित्सा अधिकारी (MBBS,MO) को रु. 65000/-, स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी-डिप्लोमा (MBBS,PGMO-Diploma) को रु. 110000/-, स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी-डिग्री (MBBS,PGMO-Degree) को रु. 125000/- प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा।
4. शासकीय नियमानुसार पात्रता से अधिक राशि का भुगतान देना एवं लेना दोनों को ही वित्तीय अनियमितता माना जावेगा, दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
5. संजीवनी क्लीनिक चिकित्सक (MBBS,MO) को मासिक बेस पारिश्रमिक रु. 25000/- तथा ओ. पी.डी. प्रति कार्य दिवस 25 मरीज उपरान्त प्रति मरीज 40 रुपये के मान से अधिकतम कुल मासिक पारिश्रमिक राशि रु. 75000/- तक देय होगा।
6. आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उक्त संविदा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
7. संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आवेदक को अपने समस्त शैक्षणिक, इंटरनशिप, राज्य चिकित्सा परिषद (Madhya Pradesh Medical Council) का जीवित पंजीयन, पी.जी. की स्थिति में Additional Degree/Diploma Certificate का म.प्र. राज्य चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन, बंध-पत्र एन.ओ.सी., सहमति पत्र, कलर पासपोर्ट साईज फोटो, कार्यअनुभव आदि संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होंगी। सीएमएचओ कार्यालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से करते हुए सत्यापन (Document Verification) किया जावेगा तदुपरांत उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा सेवा अनुबंध का निष्पादन किया जावेगा। आवेदक की व्यक्तिगत नस्ती सीएमएचओ कार्यालय स्तर पर संधारित की जावेगी।
8. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में अनुपयुक्त/कमी पाए जाने पर संविदा नियुक्ति तत्काल स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
9. अस्थायी प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) मान्य नहीं किए जावेंगे तथा इनके आधार पर संविदा सेवा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जावेगा।
10. संविदा सेवा अनुबंध निष्पादन के बिना मासिक पारिश्रमिक भुगतान योग्य नहीं होगा।
11. प्रथम संविदा पर चिकित्सकीय जांच-नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।
12. संविदा चिकित्सक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।
13. संविदा कार्य अवधि में चिकित्सक पर आचरण के संबंध में निम्न बंधन रहेंगे।
(एक) पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहेंगे.
(दो) कर्तव्य परायण रहेंगे.
(तीन) ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो उनके पद के लिए अशोभनीय है।
14. संविदा नियुक्त चिकित्सक के द्वारा मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का अनुसरण किया जावेगा।
15. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
16. अनुबंध उपरांत संविदा कर्मचारी को उनके पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।

निरन्तर.....3...

17. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अथवा अन्य किसी अनुचित तरीके से संविदा नियुक्ति प्राप्त की गई है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को दण्ड का भागी बना लेगा एवं उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
18. नियमानुसार टी.डी.एस. कटौता किया जावेगा।
(मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)



17/02/2023
(के.के. शिवत)

संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / NHM / HR / सं.नि.-MO / 2022-23 / भोपाल दिनांक: 17/02/2023
प्रतिलिपि : सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.।
4. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जिला-रतलाम, भोपाल, इन्दौर, मन्दसौर, खरगोन, भिण्ड, रीवा, गुना, देवास, शिवपुरी, डिण्डोरी, नीमच, बालाघाट।
5. संचालक (वित्त), एनएचएम, म.प्र.।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-रतलाम, भोपाल, इन्दौर, मन्दसौर, खरगोन, भिण्ड, रीवा, गुना, देवास, शिवपुरी, डिण्डोरी, नीमच, बालाघाट की ओर प्रेषित कर लेख है कि विधिवत दस्तावेज सत्यापन उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा सेवा अनुबंध का निष्पादन सुनिश्चित किया जावे।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला-रतलाम, भोपाल, इन्दौर, मन्दसौर, खरगोन, भिण्ड, रीवा, गुना, देवास, शिवपुरी, डिण्डोरी, नीमच, बालाघाट।
9. उपसंचालक, MH/CH/Urban/NCD/NMHP/Hospital Administration/RNTCP एनएचएम, म.प्र.।
10. उपसंचालक, आय.टी., एनएचएम, म.प्र. की ओर वेब पोर्टल पर अपलोड हेतु।
11. सलाहकार, HR (Technical), एनएचएम, म.प्र.।
12. संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी की ओर प्रेषित कर लेख है कि राज्य स्तर से नियुक्त संविदा चिकित्सक का पदस्थापना स्थल परिवर्तित नहीं करें।
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक / जिला एम. एंड ई. अधिकारी, एनएचएम, जिला-रतलाम, भोपाल, इन्दौर, मन्दसौर, खरगोन, भिण्ड, रीवा, गुना, देवास, शिवपुरी, डिण्डोरी, नीमच, बालाघाट की ओर प्रेषित कर लेख है कि आवेदक से सभी वांछनीय दस्तावेज प्राप्त कर नियमानुसार सत्यापन करने के उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा सेवा अनुबंध निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की विसंगति / कमी पाए जाने पर तत्काल राज्य कार्यालय को सूचित करें।
14. सम्बंधित चयनित संविदा चिकित्सक की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि सर्वप्रथम आवंटित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति देकर दस्तावेजों का सत्यापन (document verification) करावें।




17/02/2023
संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश